न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र संख्या ..../.......... उनवान..................बनाम	
	पत्रावली पश हुई वकील पक्षकारान उप. पीठासीन अधिकारी में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते ....दिनांक........ को पेश हो।	पूरणचन्द एड. 15 रामजी वगै. दरयाव हनुमान अ.नि. गोगा देवी अ.नि. प्रेम देवी पुरु. लोकपहीया Date 10/11/25
24/12/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप./ P.O. HT [illegible] में व्यस्त पत्रावली दिनांक 23/12/25 को पेश हो	
23/12/25	पत्रावली पश हुई वकील पक्षकारान उप. पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते .... [illegible] ....दिनांक 06/1/26 को पेश हो।	
06/1/26	पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] 39/ प्रा० पत्र 02 R10 CPC [illegible] [illegible] वकील पक्षकारान की मूल वाद पर [illegible] [illegible] विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर [illegible]	

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ, जिला अजमेर

राजस्व वाद सं0 01/2011

सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर ।

—प्रार्थी/वादी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र रघुनाथ
2. काना पुत्र रघुनाथ (फौत) वारीस गोरधन पुत्र काना
3. परमेश्वरी पत्नि स्व. सुवा
4. मधु देवी पुत्री स्व. सुवा
5. मेना देवी पत्नी स्व. पप्पूलाल
6. रवि पुत्र पप्पूलाल ना.था. जरिये संरक्षक माता मैना देवी पत्नि स्व. पप्पू
7. पिंकी पुत्री पप्पू नाबालिग जरिये संरक्षक माता मैना देवी पत्नि स्व. पप्पू
8. हरि प्रसाद पुत्र स्व. रामा
9. जितेन्द्र पुत्र स्व. रामा
10. किरण पुत्री स्व. रामा सर्व जाति सरगरा सर्व निवासीगण कुचील तहसील. किशनगढ़ जिला अजमेर
11. रतन पुत्र भँवरलाल
12. हरजी पुत्र भंवरलाल
    - 12/1 प्रेम देवी पत्नी हरजी
    - 12/2 हरदीन पुत्र हरजी
13. गिरधारी पुत्र भंवरलाल
    - 13/1 गोगा देवी पत्नी स्व. गिरधारी जाति जाट निवासी कुचील
    - 13/2 हनुमान पुत्र स्व. गिरधारी जाति जाट निवासी कुचील
    - 13/3 विगला पुत्री स्व. गिरधारी जाति जाट निवासी कुचील
    - 13/4 समोत्रा पुत्र स्व. गिरधारी जाति जाट निवासी कुचील
14. रामजीवण पुत्र भंवरलाल सर्व जाति जाट (छणंग) निवासी कुचील जिला अजमेर
15. पूरणचन्द पुत्र स्व. मोतीलाल जाति भांगी निवासी भांमियों का मोहल्ला ग्राम होशियारा तहसील व जिला अजमेर

प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 42, 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील वादी :— श्री पैरोकार सरकार
वकील प्रतिवादीः— श्री रामदेव गुर्जर, श्री प्रतीक मेहता

दिनांक 06.01.2026

1. संक्षेप में वाद का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार किशनगढ द्वारा दिनांक 20.12.2011 को एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 42, 175 राज.का.अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कुचील के आराजी ख.नं. 1059 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 1060 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि मूल खातेदार श्री भंवरलाल, काना, सुवा, रामा पि. रघुनाथ जाति सरगरा सर्व हिस्सा बराबर खातेदार में दर्ज थी। उक्त खातेदारान की जाति सरगरा है जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। मूल खातेदारान ने पैरा संख्या 01 में वर्णित अपनी खातेदारी की भूमि को श्री रतन, हरजी, गिरधारी, रामजीवण पि. भंवरलाल जाति जाट (छणग) निवासीगण कुचील को एक तहरीर दिनांक 21.05.1990 को 12000/—रु. प्रतिफल लेकर बेचान कर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का उक्त क्रेतागण को कब्जा संभला दिया तब से उक्त भूमि पर प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 11 से 14 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा वर्तमान में भी इन्ही क्रेतागण का कब्जा काश्त मौके पर है। मौका पर्चा संलग्न है। प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 01 से 10 ने वाद ग्रस्त भूमि को पुनः 2,00,000/— रुपये प्रतिफल लेकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.10.11 को प्रतिवादी/ अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी

की बेचान कर दी, किन्तु वाद ग्रस्त भूमि पर पूर्व क्रेता प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या 11 से 14 का ही कब्जा काश्त है।

वाद ग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी की भूमि थी जिसे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 10 के पूर्वज सुवा व रामा द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 11 से 14 को अपंजीकृत विक्रय तहरीर दिनांक 21.05.1990 द्वारा हस्तान्तरण कर कब्जा संभला दिया था। इस प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को वाद ग्रस्त भूमि का हस्तान्तरण किये जाने के फलस्वरूप धारा 42/175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के उपबंधों का उल्लंघन कर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को हस्तान्तरण करने के फलस्वरूप उक्त भूमि क्रेता एवं विक्रेता को रखने का कोई अधिकार नही रहा है। ऐसी स्थिति में वाद ग्रस्त भूमि को सिवाय चक (सरकारी) दर्ज किया जाकर कब्जा सरकार किया जाना आवश्यक है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उपरोक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित वाद ग्रस्त भूमि जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी में थी जिसे प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा 03 से 10 के पूर्वजों द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति प्रतिवादी संस्था 11 से 14 को हस्तान्तरण कर कब्जा स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को हस्तान्तरण कर दिया था तत्पश्चात् प्रतिवादी / अप्रार्थी संख्या 1 से 10 ने उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 15 को बेचान कर दिया, किन्तु वाद ग्रस्त भूमि पर पूर्व क्रेता अप्रार्थी संख्या 11 से 14 का ही कब्जा है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 42 का उल्लंघन होने से उक्त भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत सिवायचक (सरकारी) घोषित की जाकर कब्जा राज लेने के आदेश प्रदान करावें।

2. वादी का वाद दिनांक 27.12.2011 को दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 11 से 14 की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर उपस्थित हुये तथा जवाब दावा पेश किया।
3. प्रतिवादी संख्या 11 से 14 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे में उल्लेख किया गया कि वाद के समस्त तथ्य प्रतिवादी संख्या 11 से 14 को स्वीकार है तथा वादी द्वारा जो भी अनुतोष श्रीमान से चाहा गया है उसे प्रदान किया जावे, वादग्रस्त भूमि को सिवायचक किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है, वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 11 से 14 का ही कब्जा काश्त है।
4. प्रतिवादी संख्या 01 से 10 की ओर से वकील श्री प्रतीक मेहता उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि वादी के पैरा संख्या 01 व 02 के तथ्य स्वीकार है तथा अन्य जवाब इस प्रकार है कि वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित कथन मनगढप्त, गलत होकर अस्वीकार है। क्योंकि वादी द्वारा वाद पत्र के मद नम्बर 3 में तथाकथित दस्तावेज के बारे में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, क्योंकि वादी द्वारा उक्त तथाकथित दस्तावेज बाबत जो कथन अंकित किया गया कि तत्कालिन खातेदार भंवरलाल, काना, सुवा, रामा पुत्रान रघुनाथ सरगरा द्वारा अपंजिकृत तहरीर दिनांक 21.5.1990 को 12,000/— रूप्ये प्राप्त कर भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 को संभलाया गया, अपने आप में गलत है। जबकि तथाकथित दस्तावेज न तो स्वयं भंवरलाल ने, न ही प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 के पूर्वजो ने तहरीर किया, एवं जो मौका पर्चा बाबत कथन किया गया है, उक्त मौका पर्चा भी प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 द्वारा हल्का पटवारी से मिलीभगत कर तैयार करवाये गये। अतः उक्त पैरा के समस्त कथन गलत है जो अस्वीकार है। वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित कथन में प्रतिवादी संख्या 15 को बेचान की हद तक स्वीकार है, शेष कथन अस्वीकार है, वाद पत्र के पैरा संख्या 5 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र के पैरा संख्या 6 में वर्णित कथन गलत होकर अस्वीकार है। शेष वादी की प्रार्थना है जो वादी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र के मद नम्बर में वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 लगायत 10 की पुश्तैनी खातेदारी / काश्तकारी की आराजीयात है जिस पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे थे। किन्तु प्रतिपादी संख्या 11 लगायत 14 द्वारा भूमि को हडपने की नियत से तथाकथित तहरीर दिनांक 21.5.1990 को अपने पक्ष में अपंजिकृत बेचान होना बताया है, तथा इसी बेचान को आधार बनाकर विद्वान तहसीलदार महोदय, ने उक्त वाद प्रस्तुत किया गया, जबकि वादी में यह कतई ही स्पष्ट नहीं किया

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

कि वादी को उक्त तथाकथित दस्तावेज एवं प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 के कब्जे काश्त बाबत एवं वादग्रस्त आराजीयात अनुसूचित जाति से स्वर्ण जाति के पक्ष में अपंजिकृत दस्तावेज तहरीर करने की जानकारी कब हुई जो कतई अपने वाद पत्र में अंकित नहीं किया गया, जो प्रथम दृष्टया प्रकरण आदेश 7 नियम 11 जा. दी. के तहत वाद कारण के अभाव में वाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। वाद पत्र के मद नम्बर 3 लगायत 6 में वादी द्वारा यह अभिकथन अंकित किया गया कि तथाकथित अपंजिकृत दस्तावेज दिनांक 21.5.1990 द्वारा भूमि का हस्तानान्तरण स्वर्ण जाति के पक्ष में करने के कारण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया, इसलिए वादग्रस्त आराजीयात को सिवायचक दर्ज करने बाबत अभिकथन अंकित किया, जबकि "वादी द्वारा तथाकथित दस्तावेज 21.5.1990 का तहरीर होना अपने वाद में अंकित कर एवं कब्जा प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 के सुपुर्द किया जाने बाबत कथन अंकित किया गया। जो मौका पर्चा (जो वाद पत्र का अभिन अंग है) के अनुसार सहखातेदार सुवा, रामा पिसरान रघुनाथ का स्वर्गवास होने के पश्चात जरिये विरासती नामान्तकरण संख्या 1567 दिनांक 16.11.2010 एवं नामान्तकरण संख्या 1642 दिनांक 6.4.2011 व 1653 दिनांक 20.5. 2011 से विरासती नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। जो वादी के बाद में अभिकथन किया गया। वादी के कथनानुसार वादग्रस्त आराजीयात पर 1990 से ही स्वर्ण जाति का कब्जा काश्त होना अंकित किया गया तो कब्जे के अभाव में उक्त विरासती नामान्तकरण खातेदार वारिसान के नाम विरासती नामान्तकरण क्यों तस्दीक किया गया। जिसका कतई उत्लेख नहीं किया गया। जिससे सुस्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 द्वारा दुरभि संधि कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की पुश्तैनी खातेदारी जो प्रतिवादी संख्या 15 को विधिवत रूप से बेचान, की गई है को हडपने की गरज से उपरोक्त कार्यवाही अमल में लायी जाकर माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया, जो संधारण योग्य नहीं है। वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की खातेदारी / काश्तकारी की आराजीयात है जिस पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे थे। जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 द्वारा विधिवत रूप से प्रतिवादी संख्या 15 को बेचान कर कब्जा संभलाया गया, जिस पर बेचान दिनांक से प्रतिवादी संख्या 15 काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 द्वारा दुरभि संधि कर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया, जबकि तथाकथित अपंजिकृत दस्तावेज दिनांक 21.5.1990 को खातेदार भंवरलाल, काना, सुवा, रामा पुत्रान रघुनाथ द्वारा प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 के पक्ष में तहरीर किया जाना अंकित किया गया, जबकि तथाकथित दस्तावेज न तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तहरीर किया गया एवं न ही उसके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी है, न ही प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 के पूर्वजो द्वारा तहरीर किया गया। जो स्वयं ही वादी द्वारा वाद में तथात्मक, भ्रमात्मक एवं मनगढत झूठे अभिकथन अंकित कर अवांछित रूप से प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 को लाभावित करने की गरज से कानून की मंशा के बाहर जाकर उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया है एवं वाद की ताईद में झूठां शपथ पत्र एक भूमिधारक की हेसियत से प्रस्तुत किया है जिसके सबंध में वादी की गैर जिम्मेदाराना कृत्यों की न्यायिक जांच किया जाना आवश्यक है। ताकि किसी अन्य व्यक्ति एवं गरीब, असहाय एवं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ ऐसा अनुचित रूप से भूमि को हडपने की एवं किसी अन्य व्यक्ति को लाभांवित करने की कोशिश न हो। जबकि राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष परिपत्र जारी कर असहाय एवं गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों के साथ स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा गैर कानूनी रूप से भूमि हडपने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश पारित किये जाते है। तदुपंरात स्वयं वादी ही इस प्रकार का वाद प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्त योग्य है। कि वादी द्वारा वाद के मद नम्बर 3 एवं 6 में जो अभिकथन किया है एवं 3 के अभिकथनों के सलंग्न मौका पर्चा सलंग्न किया गया जो स्वयं ही विरोधाभाषी है, मौका पर्चा भी प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 से मिलीभगत कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत जाकर एक पक्षीय रूप से तैयार किया गया, जिसमें न तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 न ही केता को बरवक्त मौका पर्चा बाबत कोई सूचना नही दी गई। जो एक पक्षीय रूप से तैयार किया गया होना साबित है अतः उक्त मौका पर्चा गलत होकर अस्वीकार है, अतः प्रार्थना है कि जवाबदावा स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मय खर्चा खारिज किए जाने की आज्ञा न्यायहित में पारित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

क 19.06.2012 को वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. को खारिज कर दिया गया।

6. प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर खरीद दिनांक 11.10.2011 से प्रतिवादी संख्या 15 का ही कब्जा काश्त है तथा जवाबकर्ता सद्भाविक केता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाबदावा स्वीकार फरमाया जावे तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने की कृपा करें।

7. दिनांक 31.08.2012 को वाद में तनकीयात कायम की गई। वादी की साक्ष्य ली गई एवं प्रदर्श का अंकन करवाया गया।

8. दिनांक 30.07.2013 को वकील प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसका जवाब दिनांक 09.07.2014 को पेश किया गया। दिनांक 28.01.2020 को को प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश किया जिस बाबत दिनांक 18.02.2025 को पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे दिनांक 02.04.2025 को स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 13 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 16.04.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 37, 39 स्टाम्प अधिनियम को खारिज कर दिया गया। दिनांक 23.09.2025 को वकील प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे स्वीकार किया गया तथा न्यायहित में प्रतिवादी संख्या 12/1 तथा 12/2 को रिकार्ड पर लिया गया।

9. दिनांक 22.12.2025 को वकील प्रतिवादी संख्या 11,12, 13 के वारिसान एवं प्रतिवादी संख्या 14, 15 की ओर से सहमति पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 11, 12, 13 के विधिक वारिसान एवं प्रतिवादी संख्या 14, 15 की ओर से कथन किया कि वाद को खारिज कर निस्तारित कर दिया जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

10. दिनांक 06.01.2026 को पैरोकार सरकार एवं वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई एवं वाद पत्र का गहन अध्ययन किया गया एंव प्रस्तुत दस्तावेज पर मनन किया गया। वाद का तनकीवार विश्लेषण किया गया।

<u>तनकी संख्या 01 :—</u> आया ग्राम कुचील स्थित ख०नं० 1059 रकबा 02—08—00 एवं ख0नं0 1060 रकबा 06—10—00 भूमि प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पिता काना एवं प्रतिवादी सं० 3 से 7 के पिता व दादा एवं प्रतिवादी सं० 8 से 10 के पिता रामा की खातेदारी की भूमि थी जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति /खातेदार थे— बजिम्मे वादी

विवेचनः— तनकी संख्या 01 को सिद्व करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा तनकी के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 01 मौका पर्चा दिनांक 11.11.2011 का पेश किया गया है जिसमें हल्का पटवारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 , 02 , 03 से 07 के पूर्वाधिकारियों की थी जो कि विरासत नामान्तरण के जरिये प्रतिवादी 01 , 02 , 03 से 07 को प्राप्त हुई है तथा हस्तगत भूमि पर धारा 175 के अन्तर्गत धारा 42 का उल्लंघन होना प्रतीत होता है। राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार सरगरा जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में है। अतः तनकी संख्या 01 बहक वादी तय की जाती है।

<u>तनकी संख्या 02 :—</u> . आया वाद पैरा सं० 1 में अंकित खातेदार द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिये तहरीर दिनाक 21.05.1990 द्वारा बारह हजार रूपये प्रतिफल लेकर अप्रार्थी / प्रतिवादी सं० 11 से 14 जो स्वर्ण जाति के व्यक्ति है को बैचान कर कब्जा संभला दिया तब से प्रतिवादी सं0 11 से 14 काबिज काश्त है बजिम्मे वादी

विवेचनः— तनकी संख्या 02 को सिद्व करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा तनकी के समर्थन में ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 11 से 14 को होना सिद्व हो अथवा उनका कब्जा ही सिद्व हो। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में केवल यह उल्लेख किया गया है कि उपस्थित मौतबिरानों ने प्रतिवादी संख्या 11 से 14 का कब्जा बताया है जबकि हल्का पटवारी द्वारा स्वयं मौके की स्थिती का अवलोकन नहीं किया गया ना ही गिरदावर हल्का द्वारा करवाया गया जो कि प्रशासनिक त्रुटि है। साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादी संख्या 11 से 14 का वादग्रस्त भूमि पर था तो प्रतिवादी संख्या 01 से 10 तथा प्रतिवादी संख्या 15 के विरासत एवं बेचान

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

...मान्तरण किस आधार पर किये गये इसका उल्लेख भी तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नहीं किया ...या है जो कि गम्भीर विधिक त्रुटि है। केवल मात्र एक 05 रूपये के स्टाम्प पर वादग्रस्त भूमि का बेचान मान लिया जाना जिसमें की प्रतिवादी संख्या 01 के हस्ताक्षर बेचानकर्ता के रूप में नहीं है, नाही उक्त प्रलेख रजिस्टर्ड है, ना ही किसी सक्षम राजकीय विभाग द्वारा पंजीकृत अथवा प्रमाणित किया गया है, उक्त स्टाम्प की प्रमाणिकता ही संदेहास्पद है। अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 02 बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 03 :— आया वाद अधीन भूमि प्रतिवादी सं० 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं० 3 से 10 के पूर्वज सुवा व रामा द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति प्रतिवादी सं० 11 से 14 को अपंजीकृत विक्रय तहरीर दिनांक 21.05.1990 द्वारा हस्तान्तरण कर कब्जा संभला दिया था इस कारण अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को भूमि हस्तान्तरण करने धारा 42/175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्राधानों का उल्लंघन होने वादग्रस्त भूमि सिवायचक घोषित किये जाने योग्य है— बजिम्मे वादी

विवेचनः— तनकी संख्या 03 को सिद्व करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा तनकी के समर्थन में ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 11 से 14 को होना सिद्व हो। स्वयं वादी द्वारा वाद में अंकन किया गया है कि अपंजीकृत विक्रय तहरीर दिनांक 21.05.1990 के द्वारा वादअधीन भूमि का हस्तान्तरण कर दिया गया है जबकि धारा 42 राज. का.अधि. के अनुसार श्रीमति कोयली बनाम स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अजमेर 1988 आर.आर.डी. 18 में प्रतिपादित किया गया है कि धारा 45 राज.का.अधि. का प्रयोग समाज के कमजोर वर्गो की रक्षा के लिये बनाया गया है। उक्त धारा का उल्लंघन नहीं माना जायेगा जबकि तहसीलदार द्वारा धारा 175 राज.का.अधि. के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने के समय कब्जा अनुसूचित जाति के पास ही हो। केवल मात्र एक 05 रूपये के स्टाम्प पर वादग्रस्त भूमि का बेचान मान लिया जाना जिसमें की प्रतिवादी संख्या 01 के हस्ताक्षर बेचानकर्ता के रूप में नहीं है, नाही उक्त प्रलेख रजिस्टर्ड है, ना ही किसी सक्षम राजकीय विभाग द्वारा पंजीकृत अथवा प्रमाणित किया गया है, उक्त स्टाम्प की प्रमाणिकता ही संदेहास्पद है। अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 02 बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 04 :— आया प्रतिवादी सं० 15 सद्भाविक क्रेता है जिसके प्रतिफल राशि अदा कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है— बजिम्मे प्रतिवादी संख्या 15

विवेचनः— तनकी के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 15 द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नही की गई किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा तहसीलदार किशनगढ के वाद पत्र में अंकित तथ्यों एवं विभिन्न मौका पर्चो एवं गवाहान के बयानात् से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 15 ने वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की थी। स्वयं तहसीलदार किशनगढ के बयान में जिरह में उनके द्वारा कथन किया गया है कि मौका पर्चा मैंने नहीं बनाया है, पटवारी रिपोर्ट के अनुसार कब्जा प्रतिवादी संख्या 11 से 14 का है जबकि पटवार हल्का द्वारा मौका पर्चा में उल्लेख किया गया है कि उपस्थित मौतबिरानों के अनुसार कब्जा प्रतिवादी का है, स्वयं तहसीलदार द्वारा कब्जे के संबंध में किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। हल्का पटवारी द्वारा अपने बयानात् में कथन किये गये है कि यह बात सही है कि विक्रय पत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 15 के नाम नामान्तरण दर्ज किया गया था। अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार तनकी बहक प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी संख्या 05 :— प्रतिवादी संख्या 01 से 10 द्वारा एवं उनके पूर्वजों द्वारा अपंजीकृत विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.05.1990 तहरीर एवं तकमील किया गया है— बजिम्मे प्रतिवादी

विवेचनः— तनकी के समर्थन में प्रतिवादी द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नही की गई किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा तहसीलदार किशनगढ के वाद पत्र में अंकित तथ्यों एवं विभिन्न मौका पर्चो एवं गवाहान के बयानात् से स्पष्ट है कि उक्त तहरीर अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा वादग्रस्त भूमि का अन्तरण नहीं हुआ है। अनरजिर्स्ड तहरीर पर प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

हस्ताक्षर भी गवाह के तौर पर है ना की विक्रेता के तौर पर अर्थात तहरीर दिनांक 21.05.
990 की वैधता पर भी प्रश्नचिह्न है।
गद में प्रस्तुत साक्ष्य वादी तथा वाद के तनकीवार विवेचन के अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा
42, 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत संधारणिय नहीं होने से अस्वीकार किया
जाकर खारिज किया जाता है। खारिज वाद डिक्री पर्चा पृथक से तैयार किया जावे।
आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर
हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ अजमेर

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)